

विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा में प्रवीणता के लिए कौशलों का महत्व

रेनू

व्याख्याता

मोहन लाल साहेवाल स्मृति इंस्टीट्यूशन (बी.एड. कॉलेज) नोहर

सामान्य सारांश

भाषा में कुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से विद्यार्थियों को श्रवण, भाषण, पठन और लेखन का ज्ञान, व उसमें प्रवीणता व निपुणता का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा के क्षेत्र में कुशलता या कौशल दो प्रकार का होता है। एक प्राथमिक और दूसरा गौण। प्राथमिक कौशल के अन्तर्गत सुनना और बोलना अर्थात् अभिव्यक्ति करना आता है। गौण कौशल के अंतर्गत पठन और रचना अर्थात् लिखने की कला को सम्मिलित किया जा सकता है।

भाषा सीखने की दृष्टि से पहले सुनने और फिर बोलने की क्षमता का विकास किया जाता है और इसके पश्चात् बालकों में पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास किया जाता है। भाषा के संबंध में दूसरे शब्दों में इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए बालकों में ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना परमावश्यक होती है।

कुंजी शब्द:- प्रवीणता, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल

विद्यार्थियों में भाषा की प्रवीणता के लिए भाषा कौशल को चार भागों में बांटा गया है:-

1. श्रवण कौशल,
2. भाषण कौशल,
3. पठन कौशल
4. लेखन कौशल।

श्रवण कौशल :-

श्रवण कौशल का संबंध कर्ण से है। भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल प्रदान है, क्योंकि छात्र, कविता, भाषा, वार्तालाप, कहानी आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। और अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र के श्रवण में दोष है तो वह न तो भाषा सीख सकता है और न ही मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर हो रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकूल द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है।

श्रवण कौशल का महत्व :-

प्रजातांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का आदर होना चाहिए व समाज में अपने विरोधियों विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए एवं प्रतिकूल मत का स्वागत करना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थियों में सुनने की क्षमता का विकास आवश्यक है। जो ध्यान से सुनने की कला में प्रवीण नहीं, वह विरोधियों के तर्क के खंडन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शांत रहकर दूसरों की बात सुनते हैं और समझते हैं वे ही अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। खुले मस्तिष्क के साथ अपने मत का प्रतिपादन हम तभी कर सकते हैं, जब विचारों का आधार औचित्य पर आश्रित हो। बहुधा तर्क के अभाव में स्वर में उच्चता, झुंझलाहट, खीझ इत्यादि अवगुण पाये जाते हैं।

श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य

1. मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना।
2. मौलिकता में वृद्धि करना।
3. मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को समझना तथा उनके प्रयोग के लिए तत्पर करना है।
4. श्रुत सामग्री में से महत्वपूर्ण स्थलों का चयन करने की योग्यता विकसित करना।
5. श्रुत सामग्री के रुचिकर अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित व उत्पन्न करना।
6. ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना।
7. शब्दों मुहावरों की व उक्तियों का प्रसंगानुकूल अर्थ व सुख समझने की योग्यता विकसित करता।
8. वक्ता के मनोभावों को समझने की योग्यता व क्षमता उत्पन्न करना।
9. छात्रों में इतनी योग्यता क्षमता विकसित करना कि वे सम्मान ध्वनि वाले तथा सामानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतरों को भी समझ सकें।
10. दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक एवं मनोयोगपूर्वक सुनने की योग्यता क्षमता विकसित करना।

भाषण कौशल

मौखिक अभिव्यक्ति को भाषण कौशल भी कहते हैं। इसका अर्थ है। अपने भावों और विचारों को स्पष्टतापूर्वक भाषा द्वारा अभिव्यक्ति करना। भाषा का सांकेतिक रूप कब बदलकर अभिव्यक्ति का राय ले लिया यह कहना कठिन है। परन्तु इतना अवश्य सत्य है कि श्रवण-कौशलों ने मानव को सामाजिक होने एवं साथ रहने का पाठ अवश्य पढ़ाया जिससे मानव को अपने विचारको एक-दूसरे के

साथ लौटने का अवसर मिला। इसकी इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भाषण-कौशल का जन्म हुआ। यह प्रकृति अटल नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप श्रवण और भाषण कौशलों का संबंध व्यक्ति के जन्म से संबंधित है, जो उसे माँ के दूध के साथ ही प्राप्त होता है।

भाषाओं के कथानुसार श्रवण एवं भाषण कौशल एक सिक्के के दो पहलू मात्र है। दोनों एक-दूसरे के पूरक है। श्रवण-शक्ति जितनी बलिष्ठ होगी, भाषा भी उतनी ही कारगर होगी। भाषा के इन्हीं दो रूपों से ही मानव समाज का निर्माण होता है, जहां पर हर व्यक्ति अपनी का आदान-प्रदान करता है। मानव के भावों के इस आदान-प्रदान के फलस्वरूप भाषा का जन्म हुआ है। भाषा जन्म में ठन्हीं दोनों कौशलों का यागदान है। भाषा का यह रूप व्यवहारिक भाषा से हटकर है। पठन एवं लेखन की प्रक्रिया का इन दोनों रूपों पर अधिक प्रभाव नहीं रहता।

भाषण कौशल शिक्षण का महत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में विचारों भावों आदि का परस्पर आदान-प्रदान करते तथा अपने ज्ञान, अनुभव आदि को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करके ही इतना विकसित हुआ है।

अतः भाषण कौशल अर्थात् मौखिक अभिव्यक्ति का मानव-जीवन में विशेष महत्व है, जिस तरह मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन अनेक काम करता है। ठीक उसी तरह बोलना अथवा वार्तालाप करना भी उसकी दिनचर्या का एक अभिन्न ढंग बन चुका है। उसे सभी क्षेत्रों में मौन-साधना को छोड़कर मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पडती रहती है।

मानव-जीवन में भाषण कौशल अथवा मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व को मुख्य से निम्नलिखित छः भागों में विभाजित किया जा सकता है।

दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व :-

मनुष्य मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही अपने दैनिक जीवन में अधिकतर काम पूरे करता है। मौखिक रूप से ही क्रेता दुकान पर जाकर जरूरी वस्तुओं की मांग करता है।

व्यावसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व :-

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा मौखिक अभिव्यक्ति ही उपयोगी सिद्ध होती है। खेल-प्रशिक्षण खिलाड़ियों को खेलों के मैदान में मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही प्रशिक्षण देता है।

ज्ञान-अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन:-

अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास भाषा का साधन है जिसके द्वारा वह अपने विचारों, भावों, मनोदशा आदि के साथ-साथ अपने अनुभवों को भी दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सहायक :-

व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करने में मौखिक अभिव्यक्ति विशेष भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति पूरी कुशलता के साथ अपने भावों, विचारों को व्यक्ति लिखित रूप से प्रकट करने में सक्षम नहीं होता है। जबकि मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा यह कार्य आसानी से पूरा कर लेता है।

व्यवसाय के रूप में भाषण – कौशल का उपयोग:-

किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाषण-कौशल को एक व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविजन, नाटकों व फिल्मों में अभिनेता इत्यादि सभी अपने भाषण कौशल के बल पर ही शुद्ध प्रवाहमयी भाषा या संवाद बोलकर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं।

भाषण-कौशल शिक्षण के उद्देश्य:-

1. छात्रों के मौखिक भाषा शिक्षण के द्वारा अपने विचारों, अनुभवों एवं भावों को बहुत आसान एवं सहज तरीके से अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान की जाती है।
2. छात्रों को मौखिक भाषण शिक्षण के द्वारा उनसे पूछे गए सवों का स्पष्ट रूप से जवाब देने के योग्य बनाया जाता है।
3. छात्र मौखिक भाषा-शिक्षण के द्वारा बिना किसी संकोच के अपने विचारों को व्यक्त कर सके।
4. छात्रों को मौखिक भाषा-शिक्षण धारा-प्रवाह से और एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाले स्वर में बोलना सिखाता है।
5. छात्रों की तार्किक शक्ति को बढ़ाने में भी मौखिक भाषा शिक्षण सहायता करता है। जिससे कि वे उचित तर्क देकर अपनी कही गई बात को सही साबित कर सकें।
6. छात्रों को मौखिक भाषा शिक्षण के द्वारा आपस में एक स्वभाविक तरीके से बातचीत करना भी सिखाया जाता है।

पठन-कौशल

पठन कौशल एक कला है। इस कला का पठन के अभ्यास से विकास किया जाता है। सफल अभिव्यक्ति और मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए इस कला में निपुण होना आवश्यक है। अर्थ

ग्रहण भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अतः सफल भाषा शिक्षण के लिए पठन कौशल की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है:—

पठन कौशल का महत्व

छात्र-छात्राओं के भाषा विकास की दृष्टि से सस्वर वाचन का बहुत अधिक महत्व है :-

1. छात्र-छात्राओं के अशुद्ध उच्चारण को दूर करने में सहायतता मिलती है।
2. छात्र-छात्राओं की झिझक और संकोच को दूर किया जा सकता है।
3. लेखकों की अनुपस्थिति में उनके विचारों के अवगत करने में सस्वर वाचन पूर्ण रूप में सहायक सिद्ध होता है।
4. इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों की सफल वक्ता बन जाता है।
5. सस्वर वाचन के द्वारा कोई भी बात एक से अधिक व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सुनाई जा सकती है।
6. वाचन की सामाजिक उपयोगिता के अतिरिक्त शैक्षणिक उपयोगिता भी है। इससे ज्ञान की पुस्तकों का सहज ढंग से अध्ययन किया जा सकता है और मस्तिष्क की जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है।
7. वाचन मनोरंजन का भी सर्वोत्तम साधन फिर किसी उद्यान में कहानी, समाचार पत्र, एकांकी, व्यंग्य लेख, पत्रिका आदि का वाचन करके मानसिक आनन्द की प्राप्ति की जा सकती है।

पठन कौशल के उद्देश्य

सस्वर वाचन की क्रिया छात्रों के लिए भाषा-शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इसे सस्वर वाचन की क्रिया छात्रों के लिए भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इस सस्वर वाचन की क्रिया छात्रों के लिए भाषा-शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इसे शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं की भांति निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

1. शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना।
2. यति, गति, लाल, लय, आरोह-अवरोह, बलाघातत आदि का ज्ञान कराना।
3. अभिव्यक्ति में शुद्धता एवं स्पष्टता लाना।
4. लिपि के प्रतीकों का ज्ञान कराना।
5. सम्यंक विधि से गद्य का पठन करने का प्रशिक्षण देना।

6. उचित रीति से काव्य पाठ का अभ्यास करना।
7. नयी लेखन एवं वाचन शैलियों का ज्ञान करना।
8. अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना।
9. आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना।
10. साहित्य के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा का उदय।
11. साहित्यालोचनर का प्रशिक्षण।
12. शीघ्र वाचन कला में प्रवीणता।

लेखन-कौशल

विचार मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। वह उन्हें ध्वनि के माध्यम से प्रकट कर सकता है, किन्तु मौखिक विचार प्रकट करने में वक्ता और श्रोता का आने-सामने होना जरूरी है। ऐसी स्थिति हर वक्त संभव नहीं होती। वक्ता जब कहना चाहता है, तब शायद श्रोता उपस्थित न हो सके। इसलिए विचार प्रकट करने वाला जब और जहाँ चाहे विचार प्रकट करे एवं जिस श्रोता के लिए उसने विचार प्रकट किए हैं। वह और जहाँ चाहे उन विचारों को जान सके। इसके लिए वक्ता जो तरीका काम में ले सकता है। वह लेखन कहलाता है। लिखने में उच्चारित ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों को चित्रित करना लिपि में लिखना कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी कहलाती है। लिखना जानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लेखक अपने विचारों को लिखकर, आने वाले समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। चाहे तो दूर भेज सकता है। अतः प्रत्येक बालक को हिन्दी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखना सिखाना जरूरी है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर अपने विचारों को दूर तक अनेक व्यक्तियों के पास पहुंचा सके एवं अगर चाहे तो लिखित या मुक्ति रूप में भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रख सके। इस प्रक्रिया से शिक्षण के वह भी दूसरों के द्वारा लिखे गए विचारों को पढ़कर जानकारी हासिल कर सकता है।

डा. उमा मंगल के अनुसार:-

“सामान्य रूप से मिलकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित रूप का प्रयोगकर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन-कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व व समृद्धि का प्रमुख आधार यही लिखित अभिव्यक्ति ही है।”

लेखन कौशल का महत्व

1. लिपिबद्ध भाषा विचारों को स्थायी रूप में सुरक्षित रखने में सहायक है।
2. लिखित अभिव्यक्ति कौशल के बिना भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।
3. पाठ्य वस्तु का संगठन, प्रश्नोत्तर, सार—“संक्षेपण, गृहकार्य, परीक्षा इत्यादि में लेखक कौशल अपेक्षित है।
4. दैनिक हिसाब—किताब के लिए लिखित भाषा आवश्यक है।
5. लिखित भाषा से साहित्य निर्माण संभव हो पाता है। आज विश्वभर की चर्चित साहित्यिक कृतियां लिपि ज्ञान का परिणाम है।
6. पत्र व्यवहार, कार्यालय का काम एवं सूचना इत्यादि लिखित भाषा के बिना संभव नहीं है।
7. आज इंटरनेट के माध्यम से देश—विदेश का ज्ञान—विज्ञान लिखित रूप में सब के समक्ष उपस्थित है।
8. कार्यालय के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग का संचालन भी लिखित भाषा के बिना संभव नहीं है।
9. लिपिबद्ध भाषा का अपना एक स्वतंत्र व्यवसाय है। स्वतंत्र, लेखन, आलोचना अनुवाद—कार्य, पत्रकारिता इत्यादि के क्षेत्रों में लिपिबद्ध भाषा को ही माध्यम बनाया जाता है।

लेखन कौशल के उद्देश्य

1. वर्णों की बनावट का समुचित रूप में शिक्षण प्रदान करना।
2. सुन्दर एवं सुडौल लिखने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. अक्षर विन्यास की शुद्धता पर ध्यान देना।
4. शब्द निर्माण व वाक्य रचना के सिद्धांतों की पहचाना कराना।
5. भाषा का समुचित प्रयोग करना सिखाना।
6. साफ—सुथरने एवं स्पष्ट लेखन का अभ्यास करना।
7. बालकों अपने विचार लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना।
8. छात्रों को साहित्य—सृजन के लिए प्रेरित करना।
9. छात्रों को उपयुक्त भाषा शैली एवं तार्किक क्रम में विचारों को लिपिबद्ध करने का प्रशिक्षण देना।
10. उन्हें हिन्दी भाषा के प्रति दृष्टिकोण प्रदान कर मौलिक सृजन के लिए प्रेरित करना।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर से विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा में प्रवीणता के लिए श्रवण कौशल, भाषा कौशल, पठन कौशल तथा लेखन कौशल का ज्ञान होना बहुत उपयोगी है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है।

संदर्भ सूची

- कौल, लोकेश. (2005). शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली
- चतुर्वेदी शिखा. (2005). भाषा एवं साहित्य शिक्षण, मेरठ : सूर्या पब्लिशिंग, मेरठ
- तिवारी, डॉ भोलानाथ. (2005). हिन्दी भाषा इलाहाबाद: किताब महल, 22 – ए सरोजनी नायडू मार्ग.
- दास, श्याम सुन्दर. (1957). भाषा विज्ञान, इलाहाबाद : इंडियन प्रैस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद.
- पाण्डेय, रामशकल. (2003). हिन्दी शिक्षण आगरा:विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
- वर्मा, रामचन्द्र. (1999). व्यवहारिक हिन्दी व्याकरण. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
- शर्मा, आर.ए. (2003). शिक्षा अनुसंधान. मेरठ सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ
- शर्मा. डॉ. कृष्ण (1980–81). हिन्दी शिक्षण विधि. आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर आगरा.
- सिंह सावित्री. (1983). हिन्दी शिक्षण, मेरठ : लायल बुक डिपो, मेरठ
- सूद, विजय. (1961). हिन्दी शिक्षण विधियाँ, लुधियाना : टंडन पब्लिकेशन, लुधियाना.